झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (राँची प्रक्षेत्र)

जियाडा भवन' नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, लोवाडीह, राँची 834010 (झारखण्ड)
Phone : 0651-2460408, Telfax:2460125, Website-www.jiada.co.in, email-riada.rnc@gmail.com

पत्रांक—297 दिनांक— 28.06.2024

नामकुम औद्योगिक क्षेत्र में नवनिर्मित IT TOWER में उपलब्ध भवन/तल को किराया में आवंटन हेतु आम सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, लोवाडीह, राँची में नवनिर्मित वातानुकूलित आई०टी० टावर पर किराया हेतु भवन/तल उपलब्ध है। यह भवन/तल प्राधिकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम किराया जमा राशि पर उच्चतम राशि उद्धृत करनेवाले व्यक्ति/संस्थान/एजेंसी को IT Company/Call Centre/Corporate कम्पनियों से संबंधित को किराये पर दिया जा सकेगा। इस निविदा में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान/एजेंसी अथवा स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति द्वारा भाग लिया जा सकता है।

उक्त भवन/तल की बन्दोबस्ती हेतु सुरक्षित एवं जमानत की राशि की विवरणी निम्नवत् है :—

(1) उपलब्ध भवन/तल की विवरणी —

Total Constructed area floor wise

Particulars	Area (in sft.)
1st floor	6397sft
2nd floor	6397sft
3rd floor	6397sft
4th floor	6397sft
5th floor	6023sft

In ground floor

Particulars	Area (in sft.)
Conference Hall	505 sft
Cafeteria	860 sft
Gymnasium	503 sft
Visitors Lounge	947 sft

(2) अग्रधन की राशि— निविदादाता द्वारा उद्धृत किये जानेवाले मासिक किराया की तीन गुणा राशि (Bank Draft)।

(3) जमानत की राशि— 50000/ रू० का Bank Draft (Refundable) का भुगतान JHARKHAND INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY, RANCHI REGION payable at Ranchi के नाम से होगा।

(4) न्यूनतम मासिक किराया (प्रति वर्गफुट)— 55.00 रू० प्रति वर्गफुट + 18% GST

(5) विहित आवेदन प्रपत्र प्राधिकार की **Website-www.jiada.co.in** पर उपलब्ध है।

आवश्यक शर्त्तें—

1— भवन/तल को किराये पर लेने हेतु भाग लेने वाले निविदादाता को विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर मुहरबन्द लिफाफा में प्राधिकार के कार्यालय में जमा करना होगा।

2— आवेदन पत्र में संबंधित कॉलम में किराया हेतु वर्णांकित भवन/तल के सामने मासिक किराया अंकित करना होगा जो प्राधिकार द्वारा निर्धारित मासिक किराया से कम नहीं होगा। जिस निविदादाता द्वारा उच्चतम किराया उद्धृत किया जायेगा उन्हें उक्त भवन/तल किराया पर आवंटित किया जायेगा।

3— जियाडा द्वारा आवंटित किये जानेवाले भवन/तल के किराया में प्रत्येक तीन वर्ष में 15% की वृद्धि की जायेगी।

4 आवेदन पत्र प्राधिकार दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 15.07.2024 तक जमा किया जा सकेगा। प्राप्त निविदा की समीक्षा दिनांक 19.07.2024 को अपराह्न 2.00 बजे किया जायेगा तथा उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे निविदा खोली जायेगी।

5— किराये पर लगाये जानेवाले रिक्त भवन/तल के संबंध में पूर्ण जानकारी उद्योग विस्तार पदाधिकारी, मोबाईल नं०— 8294472762 से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

6 प्रस्तावित निविदा की प्रक्रिया को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त के संबंध में आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी जियाडा, राँची प्रक्षेत्र की **Website-www.jiada.co.in** तथा जियाडा, राँची प्रक्षेत्र के सूचना पट्ट पर उपलब्ध है।

28/6/24

क्षेत्रीय निदेशक

Terms & Condition

1– भवन/तल की विवरणी–

Sl.No.	Total Constructed area floor wise		Sl.No.	In ground floor	
	Particulars	Area (in sft.)		Particulars	Area (in sft.)
1	1st floor	6397sft	6	Conference Hall	505 sft
2	2nd floor	6397sft	7	Cafeteria	860 sft
3	3rd floor	6397sft	8	Gymnasium	503 sft
4	4th floor	6397sft	9	Visitors Lounge	947 sft
5	5th floor	6023sft			

2– उपरोक्त वर्णित सभी भवन/तल IT Company/Call Centre/IT से संबंधित कम्पनियों के लिये कर्णांकित है।

3– आवेदन के साथ वर्णित अग्रधन एवं जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट 'झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार', रॉची प्रक्षेत्र, रॉची को देय नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– भवन/तल का आवंटन प्रति वर्गफुट उच्चतम किराया उद्धृत करनेवाले निविदादाता को दिया जायेगा। पूरे भवन को किराये पर एक ही व्यक्ति/संस्थान के द्वारा लिया जाता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

5– असफल होने की स्थिति में जमा जमानत की राशि एक माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी।

6– सफल आवेदनकर्त्ताओं को स्वीकृति पत्र क्षेत्रीय निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, रॉची प्रक्षेत्र के द्वारा निर्गत किया जायेगा।

7– प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में मासिक किराया का भुगतान RTGS के माध्यम से Account No. 50484704605, IFS Code- IDIB000C622, Indian Bank, Chutia Branch में करना होगा। किराये के भुगतान हेतु कोई डिमाण्ड पत्र अलग से भेजा जाना आवश्यक नहीं है। किराये का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं करने की स्थिति में किराये पर 15 प्रतिशत की दर से सूद भुगतेय होगा।

8– भुगतान के पश्चात प्राधिकार द्वारा 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर आवंटियों को प्राधिकार के साथ एकरारनामा करना होगा।

9– भवन/तल का लीज मासिक किराया के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष के लिए होगा। प्राधिकार के द्वारा निर्धारित शर्त्तों का पालन के आधार पर लीज का नवीकरण किया जायेगा।

10– भवन/तल के आवंटन की तिथि से प्राधिकार द्वारा निर्धारित दर से किराया का भुगतान करना होगा। किराया के दर में समसमय होने वाली वृद्धि को स्वीकार करना होगा।

11– भवन/तल में जल अथवा विद्युत व्यवस्था आवंटियों को स्वयं करनी होगी।

12– किसी प्रकार का मरम्मति कार्य या स्वरूप में बदलाव के पूर्व प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा मरम्मति अपनी लागत पर कराना होगा।

13– भवन/तल पर स्वामित्व प्राधिकार का रहेगा एवं प्राधिकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारी आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने को स्वतंत्र होंगे।

14– सम्पन्न एकरारनामा के प्रतिकुल आचरण की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्त करने के पश्चात प्राधिकार द्वारा अपने दखल में लेने के तीन माह के अन्दर सुरक्षित राशि वापस कर दी जायेगी।

15– आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी से निर्गत) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16— आवंटित भवन/तल के अतिरिक्त किसी भी भवन/तल या छत पर आवंटियों का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। यह प्राधिकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। प्राधिकार उसका उपयोग जिस रूप में चाहेगी कर सकती है।

17— भवन/तल के आगे किसी प्रकार का विस्तार अतिक्रमण माना जायेगा। प्राधिकार कार्रवाई करने के लिये सक्षम होगी।

18— विशेष परिस्थिति में तीन महीने की नोटिस पर आवंटी को आवंटित भवन/तल खाली करना होगा।

19— समय-समय पर सरकार तथा प्राधिकार द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करना होगा।

20— बिना कोई कारण बताये किसी भी आवेदन को रद्द करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची प्रक्षेत्र को सुरक्षित होगा।

क्षेत्रीय निदेशक

झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (राँची प्रक्षेत्र)

जियाडा भवन' नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, लोवाडीह, राँची –834010 (झारखण्ड)

Phone : 0651-2460408, Telfax:2460125, Website-www.jiada.co.in, email-riada.rnc@gmail.com

Application No…………………(Office use only)

To

Regional Director,
JIADA, Ranchi Region.

Subject: Allotment of available space in IT Tower at Namkum Industrial Area, Lowadih, Ranchi.

1- Name of Enterprises :-

2- Name of Applicant :-

3- Fathers name :-

4- Designation :-

5- CIN(In case of Pvt. Or Public Ltd.) :-

6- Present/Correspondence Address :-

7- Mobile No. :-

8- GSTIN No :-

9- E-mail ID :-

Self – Declaration

I here by declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my application is liable to be cancelled.

Place :

Dated :

9– जमानत की राशि .... बैंक ड्राफ्ट सं0 .... दिनांक ....
निर्गत बैंक का नाम एवं शाखा ....

10– भवन/तल जिसके लिए निविदा जमा किया है :–

11– उद्धृत किया जानेवाला मासिक किराया –

प्राधिकार द्वारा घोषित न्यूनतम मासिक किराया प्रति वर्गफुट		निविदादाता द्वारा उद्धृत किया जानेवाला मासिक किराया प्रति वर्गफुट + जी0एस0टी0
1	1st floor – 55.00 रू0 प्रति वर्गफुट + 18% GST	
2	2nd floor – 55.00 रू0 प्रति वर्गफुट + 18% GST	
3	3rd floor – 55.00 रू0 प्रति वर्गफुट + 18% GST	
4	4th floor – 55.00 रू0 प्रति वर्गफुट + 18% GST	
5	5th floor – 55.00 रू0 प्रति वर्गफुट + 18% GST	
6	Conference Hall - 55.00 रू0 प्रति वर्गफुट + 18% GST	
7	Cafeteria - 55.00 रू0 प्रति वर्गफुट + 18% GST	
8	Gymnasium - 55.00 रू0 प्रति वर्गफुट + 18% GST	
9	Visitors Lounge - 55.00 रू0 प्रति वर्गफुट + 18% GST	

मैं ....एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरणी पूर्णतः सही है।

स्थान :–

तिथि :–

आवेदक का हस्ताक्षर

आवंटन की शर्त्तें आवेदन प्रपत्र के पिछले पृष्ठ पर अंकित को पढ़ा एवं स्वीकार किया।

आवंटन की शर्त्त पृष्ठ भाग में देखें।